भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 2603

जिसका उत्तर 16.03.2023 को दिया जाना है

सार्वजनिक सड़क परिवहन में महिला सुरक्षा

2603. श्री रामशिरोमणि वर्मा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में सड़क परिवहन में महिला सुरक्षा योजना के अंतर्गत की जाने वाली प्रस्तावित पहल क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ समन्वय किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन भागीदारों के रूप में किसी निजी कंपनी को शामिल करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) योजना के अंतर्गत कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए निर्धारित मानदंड और निजी पार्टियों अथवा तीसरे पक्षों को शामिल करने के लिए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु सार्वजनिक निगरानी तंत्र स्थापित करने के लिए राज्यों को कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ड.) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने निर्भया रूपरेखा के तहत राज्य/संघ शासित प्रदेशों में "एआईएस 140 विनिर्देशों के अनुसार सुरक्षा और प्रवर्तन के लिए राज्य-वार वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म के विकास, अनुकूलन, तैनाती और प्रबंधन" के कार्यान्वयन के लिए एक योजना तैयार की है। योजना के दिशानिर्देश 15 जनवरी 2020 को जारी किए गए थे। इस योजना के तहत, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश एआईएस-140 मानकों के अनुपालन में निगरानी केंद्र (कमांड एंड कंट्रोल सेंटर या बैकएंड सिस्टम) स्थापित करेंगे।

(ख) जी, हाँ। निर्भया रूपरेखा के तहत स्वीकृत अन्य परियोजनाओं के साथ-साथ योजना की प्रगति की निगरानी के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(ग) और (घ) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार निगरानी केंद्र में वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म के डिजाइन, विकास और तैनाती के लिए एजेंसी का चयन और इसका मूल्यांकन राज्यों द्वारा किया जाता है।

******